05 07/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी पक्ष - 5, 6, 53, 54 के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित। अप्रार्थीपक्ष सं. 34 से 40 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत उपस्थित। शेष अप्रार्थीपक्ष अनुपस्थित। उपस्थित प्रार्थीया व अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमाओं, नाप-चोप, तरमीम, पत्थरगढ़ी एवं अन्य विवादों को लेकर वाद विवाद उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 01/2020 बउनवान निधी गहलोत बनाम लक्ष्मीचंद व अन्य तथा राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 79/2017 बउनवान भगाराम बनाम ताराचंद व अन्य विचाराधीन है तथा उक्त दोनों प्रकरणों को जोधपुर में सक्षम न्यायालय को स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थीया ने बहस में बतलाया कि

लगातार...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आहलकार हुक्म में
	123/20	
05/07/22	को व उनके पास पेशी से डायरी है तथा उपखण्ड अधिकारी लूणी पर राजनैतिक दबाव में होने से इन प्रकरणों में सुनवाई उचित कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है। पक्षकारान को आने-जाने में परेशानी होती है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रार्थिया न्याय से वंचित रह सकती है। न्यायहित में उक्त दोनों जोधपुर में ही किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाये। अप्रार्थीपक्ष सं. 3,4 के अधिवक्ता ने उक्त प्रकरणों की सुनवाई के लिये जोधपुर में सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने पर कोई आपत्ति नहीं होना कहा। अप्रार्थीपक्ष 5,6 के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष विचाराधीन उक्त दोनों राजस्व प्रकरणों में पक्षकार को हर पेशी पर जाना अनिवार्य नहीं है तथा यह प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है कि पक्षकार को आने-जाने में परेशानी हो रही है अतः प्रार्थिया का यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है	

AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____ मुकाम ____

____ बनाम ____

मुकदमा ____ नं. 123/20 ____ सन् ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/07/22	प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही जाने के बावजूद आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थीया के कथनानुसार उक्त प्रकरण दायर होने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थीया का कथन मानने योग्य है कि उसे उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से न्याय मिलने की संभावना नहीं है। न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी लूणी न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 01/2020 निधी गहलोत व अन्य बनाम लक्ष्मीचंद व अन्य तथा राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 79/2017 भगाराम बनाम ताराचंद व अन्य को आग्रिम सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) न्यायालय को स्थानान्तरित करने के आदेश दिया जाता है। उपखण्ड अधिकारी लूणी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण तुरन्त उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (दक्षिण) न्यायालय को स्थानान्तरित करते हुए प्रेषित करें। उपखण्ड अधिकारी ~~लूणी~~ जोधपुर (दक्षिण) को भी निर्देशित	

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में
05 07/22	किया जाता है कि उक्त प्रकरणों को विधिवत सुनवाई करते हुए विधि सम्मत निस्तारण करें। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसलानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।	